International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 7.150, Volume 06, No. 02(II), April - June, 2024, pp. 267-270

राजस्थान में महिला सशक्तीकरण एवं राज्य महिला नीति 2021

डॉ. नितिला माथुर*

सार

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः" *अर्थात् जहॉ नारी की पूजा होती है, वहॉ देवता निवास करते हैं। भारतीय चिंतन परम्परा में महिला स्थिति को सशक्त एवं वंदनीय माना गया है लेकिन व्यवहार में स्थितियां भिन्न हैं। अतः आज हम महिला सशक्तीकरण की आवश्यकता पर चिंतन कर रहे हैं। महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण का अर्थ उनके आर्थिक फैसलों, आय, संपति और विकास के अवसरों की उपलब्धता से है। इन सुविधाओं को पाकर ही वह अपने सामाजिक स्तर को सुदृढ़ कर सकती हैं। भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और स्थिति को कमजोर करने वाली उन सभी प्रथाओं और मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है जो समाज में महिलाओं की स्थिति को कमजोर कर रही हैं। महिलाओं को कई क्षेत्र में विकास की आवश्यकता है।*

शब्दकोशः *महिला सशक्तीकरण, महिला नीति 2021, सामाजिक स्तर, आय, संपति और विकास।*

प्रस्तावना

महिला सशक्तीकरण का अर्थ

महिला सशक्तीकरण का अर्थ महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। ताकि उन्हे रोजगार, शिक्षा, आर्थिक विकास के समान अवसर मिल सके। जिससे वह सामाजिक स्वतंत्रता और विकास प्राप्त कर सके। यह वह तरीका है जिसके द्वारा महिलाऍ भी पुरूषों की तरह अपनी हर आंकाक्षाओं को पूरा कर सकें। सरल शब्दों में महिला सशक्तीकरण का आशय महिलाओं मे उस शक्ति का प्रवाह होना है जिससे वे अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती है। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना ही महिला सशक्तीकरण है।

भारत में महिला सशक्तीकरण की आवश्यकता

भारत में महिला सशक्तीकरण की आवश्यकता के बहुत से कारण सामने आते हैं। प्राचीन काल की अपेक्षा मध्य काल में भारतीय समाज में महिलाओं के स्तर में काफी गिरावट आयी है। जितना सम्मान उन्हें प्राचीन काल में दिया जाता था, मध्य काल में वह सम्मान घटने लगा। आधुनिक युग में महिलाऍ महत्वपूर्ण राजनैतिक तथा प्रशासनिक पदों पर पदस्थ हैं। फिर भी सामन्य ग्रामीण महिलाएं आज भी अपने घर की चार–दीवारी तक ही सीमित है। और उन्हें सामान्य स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाऍ भी उपलब्ध नही है। शिक्षा के मामले में भी भारत में महिलाऍ पुरूषों की अपेक्षा काफी पीछे है। जनगणना वर्ष 2021 के अनुसार भारत में पुरूषों की साक्षरता दर 82.14 प्रतिशत है जबकि महिलाओं की साक्षरता दर मात्र 65.46 प्रतिशत ही हैं।

* प्राचार्य, सर प्रताप कॉलेज, जोधपुर, राजस्थान।

भारत में महिला सशक्तीकरण की आवश्यकता का एक और मुख्य कारण भुगतान में असमानता भी है। एक अध्ययन में सामने आया है कि समान अनुभव और योग्यता के बावजूद भी भारत में महिलाओं को पुरूषों की अपेक्षा 20 प्रतिशत कम भुगतान दिया जाता है। लैंगिक असमानता और पुरूष प्रधान समाज में महिलाओं को परिवार और समाज के स्तर पर कई कारणों से अन्याय, उपेक्षा और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। जब हम लैंगिक असमानता को दूर कर पाए और महिलाओं के लिए भी पुरूषों की तरह समान शिक्षा, विकास और भुगतान सुनिश्चित कर सकें तभी वास्तविक अर्थों में महिला सशकतीकरण किया जा सकता है।

भारत की लगभग **50 प्रतिशत आबादी केवल महिलाओं** की है। इसका अर्थ है कि पूरे देश के विकास के लिए इस आधी आबादी की आवश्यकता है। जो कि अभी भी सशक्त नहीं है और कई सामाजिक प्रतिबंधों से बंधी हुई है। ऐसी स्थिति में आधी आबादी को मजबूत किए बिना देश का संपूर्ण विकास संभव नही हो पायेगा। महिलाओं के खिलाफ होने वाले लैंगिक विभेद और उत्पीड़न की घटनाओं के रोकथाम के लिए सरकार द्वारा अनेक संवैधानिक और कानूनी प्रयास किए गये हैं। हालॉकि ऐसे बड़े विषय को सुलझाने के लिये महिलाओं सहित सभी के लगातार सहयोग की आवश्यकता है।

महिला सशक्तीकरण के मार्ग में आने वाली बाधाऍं

भारतीय समाज में अनेक ऐसी मान्यताऍं, प्रथाऍं और परम्पराऍं प्रचलित है जो महिला सशक्तीकरण के मार्ग में बाधा सिद्ध होती हैं। उन्हीं बाधाओं में से कुछ निम्नलिखित हैं :–

- पारम्परिक और रूढ़ीवादी विचारधाराओं के कारण भारत के अनेक क्षेत्रों में महिलाओं के घर छोड़ने पर पाबंदी होती है। सामान्यतः महिलाओं को शिक्षा या फिर रोजगार के लिए भी घर से बाहर जाने के लिए आजादी नहीं होती है।
- पारम्परिक और रूढ़ीवादी वातावरण में रहने के कारण महिलाऍं खुद को पुरूषों से कमतर समझने लगती हैं और अपनी सामाजिक और आर्थिक दशा को बदलने में असफल सिद्ध होती है।
- कार्यक्षेत्र में होने वाला शोषण भी महिला सशक्तीकरण में एक बड़ी बाधा है। निजी क्षेत्र में महिलाओं को इस समस्या से अपेक्षाकृत अधिक सामना करना पड़ता है। पिछले कुछ समय में कार्यक्षेत्रों में महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न की घटनाओं में काफी तेजी से वृद्धि हुई हे।
- पुरूष प्रधान मानसिकता के कारण महिलाऐं को समाज में अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारत में अभी भी कार्यस्थलों में महिलाओं के साथ लैंगिक स्तर पर बहुत भेदभाव किया जाता है। उन्हें आजादी पूर्वक कार्य करने या परिवार से जुड़े फैसले लेने की भी आजादी नहीं होती है। और उन्हें सदैव हर कार्य में पुरूषों की अपेक्षा कमतर ही माना जाता है।
- भारत में महिलाओं को अपने पुरूष समकक्षों की अपेक्षा कम भुगतान किया जाता है और असंगठित क्षेत्रों में यह समस्या और भी ज्यादा दयनीय है।
- अशिक्षा और बीच में पढ़ाई छोड़ने जैसी समस्याऍं भी महिला सशक्तीकरण के मार्ग में बड़ी बाधा है। वैसे तो शहरी क्षत्रों में लड़कियॉं शिक्षा के मामले में लड़कों के बराबर है परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे मामले अधिक देखे जा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियां जो स्कूल जाती भी हैं, उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है और दसवीं कक्षा भी पास नहीं कर पाती हैं।
- पिछले कुछ दशकों में सरकार द्वारा किए गए प्रभावी प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत में बाल विवाह जैसी कुरीति के चलन में काफी हद तक कमी आई है, लेकिन 2018 में यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में अब भी हर वर्ष लगभग 15 लाख लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले ही कर दी जाती है। अल्पायु में विवाह हो जाने के कारण महिलाओं का विकास रूक जाता है और वह शारीरिक तथा मानसिक रूप से व्यस्क नही हो पाती हैं।

- महिलाओं के विरूद्व अपराध की घटनाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि भी महिला सशक्तीकरण के मार्ग में बड़ी बाधा है। महिलाओं के विरूद्व घरेलू हिंसा, गम्भीर अपराध सामान्यतः देखने को मिलते हैं। यह बड़ी विड़म्बना है की शहरी क्षेत्रों की महिलाएँ ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के अपेक्षा आपराधिक हमलों की अधिक शिकार होती है।
- कामकाजी महिलाएँ आवागमन में अपने आप को असुरक्षित महसुस करती हैं। सही मायनों में महिला सशक्तीकरण की प्राप्ति तभी की जा सकती है जब महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके और पुरूषों की तरह वे भी बिना भय के स्वच्छंद रूप से कहीं भी आ जा सके।
- कन्या भ्रूण हत्या या फिर लिंग के आधार पर गर्भपात भी महिला सशक्तीकरण के मार्ग में एक बड़ी बाधा है। कन्या भ्रूण हत्या का अर्थ लिंग के आधार पर होने वाली भ्रूण हत्या से है, जिसके अन्तर्गत कन्या भ्रूण का पता चलने पर गर्भपात करा दिया जाता है। कन्या भ्रूण हत्या के कारण ही हरियाणा जैसे प्रदेशों में स्त्री और पुरूष लिंगानुपात में बहुत ज्यादा अंतर आ गया है। कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्याओं के निदान के बिना महिला सशक्तीकरण के लक्ष्य को पूरा कर पाना संभव नहीं है।

राज्य महिला नीति – 2021

एक लोकतांत्रिक समाज, जिसमें सभी महिलाएं और बालिकाएं अपनी स्चायत्तता, गरिमा और मानव अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए विकास की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए उपलब्ध सेवाओं एवं अवसरों का समान एवं स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सके। इसी परिकल्पना के साथ बजट घोषणा वर्ष 2020–21 के अन्तर्गत सभी महिलाओं और बालिकाओं की स्वायत्तता, गरिमा और मानव अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए तथा महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से मार्च 2021 को (राज्य महिला नीति 2000 तथा राज्य बालिका नीति 2013 के स्थान पर) राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 की घोषणा की गई और 11 अप्रैल 2021 से इसे समस्त राजस्थान में लागू किया गया।

राजस्थान राज्य महिला नीति का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं की स्वायत्तता, गरिमा और मानव अधिकारों, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए सामाजिक सुरक्षा अवसर एवं सुविधाएं, जेण्डर संवेदनशील बनाना, अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत महिलाओं के कार्यबल में भागीदारी को बढ़ावा देना, वंचित समूहों के साथ हो रहे भेदभाव को दूर करने इत्यादि सुनिश्चित करना है। राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 के अन्तर्गत महिलाओं और बालिकाओं के समग्र विकास हेतु 6 मुख्य क्षेत्र चिन्हित किये गये हैं। ये मुख्य क्षेत्र निम्नानुसार हैं :–

- बालिकाओं और महिलाओं का जन्म, अस्तित्व स्वास्थ्य और पोषण
- बालिकाओं और महिलाओं के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण
- आर्थिक सशक्तीकरण
- राजनीतिक और सामाजिक सशक्तीकरण
- सुरक्षा, संरक्षण और बचाव
- पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदाएँ

राजस्थान राज्य की महिला नीति 2021 महिलाओं तथा बालिकाओं के समग्र विकास के लिए विभिन्न मुद्दों, क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए नीति की रूपरेखा तैयार की गई है। इस नीति से महिला एवं बालिका कल्याण के लिए विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सकेगा। और यह नीति प्रदेश में बालिकाओं, किशोरियों और महिलाओं को सुरक्षित एवं सशक्त बनाने में सहायक होगी। राज्य सरकार ने नई नीति में महिलाओं के आजीविका, आवास, संपत्ति के स्वामित्व, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारिता आदि को शामिल किया है। यह नीति सतत् विकास लक्ष्य–2030 के अनुरूप बनाई गई है। सतत् विकास लक्ष्य–2030 के प्रमुख उद्देश्य हैंः–

- सभी महिलाओं तथा बालिकाओं के साथ हर प्रकार का भेदभाव मिटाना
- सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में सभी महिलाओं तथा बालिकाओं के प्रति सभी प्रकार की हिंसा समाप्त करना, जिसमें तस्करी तथा यौन व अन्य प्रकार के शोषण को समाप्त करना शामिल है।
- बाल विवाह, कम उम्र में और जबरन विवाह करने जैसी सभी हानिकारक प्रथाओं का उन्मूलन करना।
- जनसेवाओं, बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक संरक्षण नीतियों के माध्यम से निःशुल्क सेवा और घरेलु काम को मान्यता व महत्व देना तथा राष्ट्रीय स्तर पर उपयुक्तता के आधार पर घर–परिवार के भीतर साझी जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करना।
- राजनीतिक, आर्थिक और सार्वजनिक जीवन में निर्णय प्रक्रिया के सभी स्तरों पर महिलाओं की पूर्ण तथा कारगर भागीदारी व नेतृत्व के समान अवसर सुनिश्चित करना।
- अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या और विकास सम्मेलन के कार्यवाही कार्यक्रम तथा बीजिंग प्लेटफार्म फॉर एक्शन व उनके समीक्षा सम्मेलनों के निष्कर्ष दस्तावेजों के अनुरूप हुई सहमति के अनुसार यौन व प्रजनन स्वास्थ्य व प्रजनन अधिकारो की सबके लिए सुलभता सुनिश्चित करना।
- महिलाओं को आर्थिक संसाधनों पर समान अधिकार तथा जमीन और अन्य प्रकार की संपति, वितीय सेवाओं, उत्तराधिकार व प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण एवं स्वामित्व को राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार सुलभ कराने के लिए सुधारों को अपनाना।
- महिला सशक्तीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए विशेषकर सूचना और टेक्नोलॉजी सहित सामर्थ्यकारी टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ाना।
- सभी स्तरों पर सभी महिलाओं और लड़कियों के सशक्तीकरण तथा लैंगिक समानता के संवर्द्धन हेतु ठोस नीतियां एवं लागू करने योग्य कानून अपनाना व उन्हें मजबूत करना।

राज्य महिला नीति 2021 में महिलाओं के जीवन से जुड़े जन्म, उत्तर जीविका, स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, आर्थिक और आजीविका, आवास, आश्रय और सम्पतियों के स्वामित्व, राजनैतिक और सामाजिक अधिकारिता जैसे बिन्दुओं को शामिल किया गया है।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि नवीन राजस्थान की दिशा में बढ़ते कदम में राज्य महिला नीति 2021 बहुत महत्वपूर्ण होगी। यह नीति बालिकाओं, महिलाओं व किशोरियों को सुरक्षित और सशक्त बनाने में सहायक होगी। इस नीति में महिलाओं के जीवन से जुड़े जन्म, आवास, आजीविका, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, प्रशिक्षण आदि से जुड़ी सभी बातें शामिल है। यह नीति सतत विकास लक्ष्य 2030 के अनुरूप बनाई गई है। कोई भी राजनीतिक व्यवस्था महिलाओं के प्रति संवेदनशील हुए बिना प्रगति नहीं कर सकती है। महिला सुरक्षा एवं महिला विकास के बिना किसी भी समाज अथवा राज्य का विकास संभव नही है। महिलाओं के सशक्त होने से पूरा समाज, राष्ट्र अपने आप ही सशक्त हो जायेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. सूचना एवं विभाग (राजस्थान सरकार) के निर्णय एवं उपलब्धियों संबंधी लेख।
2. राव शंकर, सी. एन. इण्डियन सोसायटी, एस चांद एण्ड कम्पनी लिमिटेड, 2005, न्यू देहली
3. राज्य महिला नीति 2000, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर, राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति 2021, भारत सरकार, नई दिल्ली
4. राज्य की महिला नीति 2021, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर
5. राज्य बालिका नीति 2013, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर

❖◆❖